

विष्णु चन्द्र वैश्य,  
विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट/  
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
गाजीपुर।

सेवा में,  
रजिस्ट्रार जनरल,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,  
माननीय जनपद न्यायाधीश,  
गाजीपुर।

विषय—मान सरोवर योजना कानपुर रोड लखनऊ में मकान कय किये जाने हेतु अनुमति मांगे जाने  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर विनम्र निवेदन है कि पूर्व में मेरे द्वारा मकान नम्बर—आई आर डब्लू ओ,  
मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, एल डी ए स्कीम, लखनऊ एड—मेजरिंग 145.25 रक्वायर मीटर  
कय किये जाने हेतु माननीय न्यायालय की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें कुछ  
सूचनायें मांगी गयी हैं, के सम्बन्ध में यह कहना है कि मेरे परिवार में पत्नी श्रीमती निधि गुप्ता तथा  
एक ही पुत्री विधि उम्र करीब 12 वर्ष, जो कक्षा 07 में सेण्ट जान्स स्कूल, तुलसीपुर, गाजीपुर में  
पढ़ती है, मेरे साथ रहती हैं। उपरोक्त मकान के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा एग्रीमेण्ट किये जाने से  
इन्कार कर दिया गया है और अब वह मकान बेचने से भी इन्कार कर दिया है।  
आख्या श्रीमान् जी की सेवा में प्रेषित है।

ससम्मान।

दिनांक 16.03.2020.

भवनिष्ठ,

*Rashmi*

(विष्णु चन्द्र वैश्य),

विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट/  
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
गाजीपुर।

क्रमांक. 456/XV दिनांक. 17-03-2020

अग्रसारित

*Rashmi*  
जनपद न्यायाधीश  
गाजीपुर